न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
170/2013	22/02/2013	06-01-2026

1– सीताराम पुत्र सुरजमल
2– रामप्रसाद पुत्र सुरजमल
3– रामनिवास पुत्र सुरजमल जातियान मीणा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1–गोपीचंद पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह.पीपल्दा
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।
प्रतिवादी कम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज. की जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 की खाता संख्या 225 में खसरा नम्बर 383 रकबा 0.04 है. भूमि स्थित है। जिसके एक मात्र मालिक स्वामी एवं खातेदार वादीगण है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है । उपरोक्त आराजी को आगे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजी कहा गया है। वादीगण की उपरोक्त आराजी पड़त है विवादग्रस्त आराजी पर दिनांक 11.2.013 को प्रतिवादी आया और जबरन वादीगण की आराजी पर कब्जा करने के लिए बाउन्ड्रीवाल बनाने लगा इस पर प्रतिवादी को रोका तो प्रतिवादी ने वादीगण को मारने पीटने की धमकी दी और कहा कि उपरोक्त आराजी पुर बाउन्ड्रीवाल बनाकर रहूँगा यह जमीन मेरी है। प्रतिवादी को समझाया तो नहीं समझा और झूठी रिपोर्ट प्रतिवादी नें वादीगण के खिलाफ कर दी प्रतिवादी का वादीगण की विवादग्रस्त आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। प्रतिवादी ने वादीगण को धमकी दी है कि वह विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करेगा तथा निर्माण करेगा और बाउन्ड्रीवाल बनायेगा उसे कोई नही रोक सकता चाहे खून खराबा हो जावें प्रतिवादी को विवादग्रस्त आराजी पर अवैध कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार प्रांप्त नहीं है बल्कि वादीगण को यह कानूनी अधिकार हासिल है कि वह प्रतिवादी के अवैध कृत्य को करने से रोके तथा वादीगण की कब्जे काश्त की विवादग्रस्त आराजी पर मदाखलत व मजाहमत करने से प्रतिवादी को रोकें जिसका वादीगण को कानूनी अधिकार हासिल है कि वह अपने कब्जे एवं स्वामित्व व खातेदारी की विवादग्रस्त आराजी की रक्षा करें, इस कारण वादीगण माननीय न्यायालय में यह वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर रहा है। वाद कारण दिनांक 11.2.013 को वादीगण की विवादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने तथा उस पर बाउन्ड्रीवाल का निर्माण करने तथा रोकने पर खून खराब करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आश्य की सादर डिकी फरमाई जावें कि वाद पत्र में वर्णित विवादग्रस्त आराजी ग्राम गणेशगंज तहसील पीपल्दा कोटा की खसरा नम्बर 383 रकबा 0.04 है. पर प्रतिवादीगण कों स्थाई निषेधाज्ञा

सें निषेधित किया जावें कि वह वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करें और न ही उस पर वाउन्ड्रीवाल का निर्माण करे, तथा वादीगण के उपयोग एवं उपभोग में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की मदाखलत व मजहामत नही करें, ऐसा कार्य न तो स्वय करे, और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधि से करावें।

वादी की ओर से वाद श्री मनोज शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी कम 1 की ओर से फिरोज आब्दी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कम 1 को जवाब में उचित अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने साक्ष्यवादी सीताराम पी0डब्ल्यू0 1, रामनिवास पी0डब्ल्यू0 2, रामप्रसाद पी0डब्ल्यू0 3 पेश किए। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2066–69 खाता सं0 225 ग्राम गणेशगंज दिनांक 18.02.2013 प्रदर्श पी–1, नक्शा ट्रेस दिनांक 04.03.2011 प्रदर्श पी–2, खसरा गिरदावरी दिनांक 04.03.2011 प्रदर्श पी–3 पेश किए।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि वादी वाद में वर्णित भूमि के उपभोग के अधिकार को प्रमाणित नहीं कर सका है अतः स्थाई निषेधाज्ञा की स्वीकृति देना उचित नहीं है। (RRD 1976 पेज नम्बर 501 रामेश्वर बनाम भगवान) वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सकता जिससे वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त की पुष्टि हो सके तथा इस शान्तिपूर्वक उपभोग में बाधा या व्यवधान भी साबित नहीं हो सका है। अतः वाद पोषणीय नहीं है। वाद पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट–ट्रेक इटावा

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

डिक्री मुकदमा इब्ताई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
170 / 2013	22 / 02 / 2013	

1– सीताराम पुत्र सुरजमल

2– रामप्रसाद पुत्र सुरजमल

3– रामनिवास पुत्र सुरजमल जातियान मीणा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1–गोपीचंद पुत्र रामनारायण जाति मीणा निवासी गणेशगंज तह.पीपल्दा

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह पीपल्दा जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री मनोज शर्मा एड0।

प्रतिवादी कम 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– एकतरफा।

दावा अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री मनोज शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद पोषणीय नहीं है। वाद पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है। डिक्री मेरे दस्खत व मोहर से आज दिनांक .....को जारी किया गया। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
मेहनताना वकील			मेहनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर

फास्ट–ट्रैक इटावा